

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(27)बजट घोषणा 157/IEC/ICDS/17/ 197164-196

जयपुर दिनांक : 19/12/17

उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त

विषय:-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रदर्शन के आधार पर मासिक प्रोत्साहन राशि के भुगतान की तुलनान्तमक समीक्षा बाबत।  
प्रसंग:-विभागीय पत्र क्रमांक 166376-679 दिनांक 30.10.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया था। यह प्रोत्साहन योजना तीन माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) के लिए लागू की गई है। इसकी समीक्षा के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालयों से एकत्रित कर एकजाई सूचना अविलम्ब निम्न प्रारूप (अक्टूबर व नवम्बर माह हेतु अलग-अलग) में सूचना प्रेषित करावें :-

जिले का नाम .....

माह.....

क्र. सं.	परियोजना	शाला पूर्व शिक्षा		वृद्धि निगरानी व कुपोषण प्रबन्धन	
		90 प्रतिशत एवं अधिक उपलब्धि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या	75 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या	90 प्रतिशत एवं अधिक उपलब्धि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या	75 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं की संख्या

उक्त सूचना प्रारूप में दिनांक 25.12.2017 तक आवश्यक रूप ecerajasthan2017@gmail.com प्रेषित करावें।

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F26(4)(27)बजट घोषणा 157/IEC/ICDS/17/ 197197-503 जयपुर दिनांक : 19-12-17  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त
4. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (आईईसी)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर